**संख्या- 82/2288/बयालिस-2015-116(विविध)/2015**

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उ0प्र0, लखनऊ

**खेल अनुभाग** **लखनऊ: दिनांक: 26 अक्टूबर, 2015**

**विषय- सैफई जनपद इटावा में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के तरणताल के निर्माण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0- जी 987/नि0सैफई तरणताल पत्रा0/ 2015-16, दिनांक 01 अक्टूबर, 2015 एवं शासनादेश संख्या-2038/बयालिस-2012-116(विविध)/2012, दिनांक 10 दिसम्बर, 2012, शासनादेश संख्या- 1735/बयालिस-2014-116(विविध)/2012, दिनांक 06 अगस्त, 2014, शासनादेश संख्या- 2396/बयालिस-2014-116(विविध)/2012, दिनांक 03 नवम्बर, 2014, शासनादेश संख्या- 871/बयालिस-2015-116(विविध)/2012, दिनांक 30 मार्च, 2015, एवं शासनादेश संख्या- 41/1352/बयालिस-2015-116(विविध)/2012, दिनांक 23 जून, 2015, के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष-2015-16 में सैफई में स्टेडियमों के निर्माण मद में प्राविधानित धनराशि रू0 7500.00 लाख में से सैफई जनपद इटावा में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के तरणताल के निर्माण हेतु रू0 1306.06 लाख ( रू0 तेरह करोड़ छः लाख छः हजार रू0 मात्र) की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 1306.06 लाख ( रू0 तेरह करोड़ छः लाख छः हजार रू0 मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि परिव्यय एवं बजट सीमा के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है।

(2) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वास्तविक आश्यकतानुसार किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/ मदों में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यो/मदों में धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

(5) शासनादेश संख्या-2038/बयालिस-2012-116(विविध)/2012, दिनांक 10 दिसम्बर, 2012, शासनादेश संख्या- 1310/बयालिस-2013-116(विविध)/2012, दिनांक 03 जून, 2013,

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या- 583/बयालिस-2014-116(विविध)/2012, दिनांक 04 मार्च, 2014, शासनादेश संख्या- 2396/बयालिस-2014-116(विविध)/2012, दिनांक 03 नवम्बर, 2014, में उल्लिखित अन्य शर्ते आदि यथावत रहेंगी।

2- उक्त मद में हाने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2015-16 के अनुदान सं0- 22 के लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा,खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-86-सैफई में स्टेडियमों का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त् स्वीकृति वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी9-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अनिल कुमार
अनु सचिव

**संख्या- 82/2288/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

(1) महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, इटावा।
(5) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ।
(6) क्षेत्रीय क्रीडाधिकारी, कानपुर/क्रीडाधिकारी, सैफई।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
(9) नियोजन अनुभाग- 4
(10) गार्ड फाईल कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से

( अनिल कुमार )
अनु सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in